□□□□ □□□□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्र□□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ f□□□□

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख□□: 3183

12 □□□□, 2019 **को पूछे जाने वाले प्रश्न □□ □त□□**

जनसंख्या वृद्धि को रोकना

3183. **श्री विष्णु दयाल रामः**

श्र□ □□□ □द्द□

प्र□□ □□□□ □□□□

श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा और जनसंख्या वृद्धि के मामलों में अगले तीन से पांच वर्षों में चीन से आगे निकल जाएगा और □f□ □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) को तैयार करने हेतु गठित एमएस स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि □□ीं,तो इसे लागू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कदम का कुछ सामाजिक संगठनों/धार्मिक समूहों ने विरोध किया □□□□ □f□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □□;□

(घ) क्या सरकार ने निरंतर बढ़ती जनसंख्या को रोकने हेतु कोई सख्त कदम उठाए हैं; □□

(□) □f□ □□,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा □□□□□ा □□ रही विद्यमान योजनाओं के अतिरिक्त अन्य नए उपाय/समाधान क्या हैं?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□ज□ □त्र्□ (श्र□ □□श्□□□ □□□□□ □□□)□

(□): f□श□ □□□□ख□□ □□□□□□ 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 □□□□-पास विश्व □ा □□□□ □f□□ □□□□□य़ा वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा: □□□□□□ 2011 □□□□□□□ 2001 □□□ 2011 □□□□□ भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत □□ ;□□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र□□□ □□□□ा□ वृद्धि दर □□□□ग□□ -I □□ □□

(□): राष्ट्री□ □□□ख□□ □□ि□ (□□□□□□) 2000 □□.□□. स्□□मीनाथन समिति को रिपोट के आधार पर □□□□ □ा □□ □□□ □□□□□□ 2000 □□□□□□□□ □□□□ राष्ट्रीय परिवार नियोजन कायक्रम स्□□चे□□ □□ संसूचित विकल्प, □क्ष□□क□ दृ□षे□□□□ □□ □□□ □□□□, □□□□स्□□स्थ्य □□□ □□ि□□□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ि□□□□□ स्□र को उपलब्धि के संबंध म सरकार को प्रतिबद्धता □ा □□षे□ □□□□ □□

(□): □□ □□ा□

(□) □□ (□.): □□ष्ट्रीय परिवार नियोजन कायक्रम के अंतगत चलाये जा रहे विभिन्न् कायक्रमों का ि□□□□ □□□ग□□ - II □□ □□

***

□□□ग□□-I

□ज□/□□ □ज□ क्षेत्र□□ □□□ोि वृद्धि दर (स्रोत: आरजीआई)

क्र.□□	□ज□/□□ □ज□ क्षेत्र का नाम	□□□ोि □द्धि □□ (2001-2011)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.9
2.	आंध्र प्रदेश*	11.0
3.	अरूणाचल प्रदेश	26.0
4.	असम	17.1
5.	बिहार	25.4
6.	चंडीगढ़	17.2
7.	छत्तीसगढ़	22.6
8.	दादर और नगर हवेली	55.9
9.	दमन और दीव	53.8
10.	गोवा	8.2
11.	गुजरात	19.3
12.	हरियाणा	19.9
13.	हिमाचल प्रदेश	12.9
14.	जम्मू और कश्मीर	23.6
15.	झारखंड	22.4
16.	कनाटक	15.6
17.	केरल	4.9
18.	लक्षदवीप	6.3
19.	मध्य प्रदेश	20.3
20.	महाराष्ट्र	16.0
21.	मणिपुर	24.5
22.	मेघालय	27.9
23.	मिजोरम	23.5
24.	नागालड	0.6
25.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	21.2
26.	ओडिशा	14.0
27.	पांडिचेरी	28.1
28.	पंजाब	13.9
29.	राजस्थान	21.3
30.	सिक्किम	12.9
31.	□□□□□□□	15.6
32	त्रि□□	14.8
33.	□त□ प्र□□	20.2
34.	□त□□□□	18.8
35.	□श्चि□ □□□	13.8
	□□□	17.7

*आंकड़े अविभाजित आंध्रप्रदेश के ह।

□□□ख□ वृद्धि पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कायक्रम

परिवार नियोजन के अंतगत नए काय□□□

- **f□□□ □f□□□ f□□□**: यह संकद्रित पहल अत्या□□ □□□ख□ □□□7 □□□ं (□त□ प्र□, f□□□, □ध□ प्र□, □□स□□, □त□□□□, □□□ण, असम) म टीएफआर>3 □□□146 □च□ टीएफआर जिलों हेतु चलाई गई थी। इसका उद्देश्य □□ 146 □च□ □l□□□□ □□□ं □ गर्भनिरोधक उपयोग को बढ़ावा देना और जनन दर म कमी लाना है।

- **नए गर्भनिरोधक विकल्प प्रस□□** □□□: वतमान म इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक और सटक्रोमन जैसे नए गर्भनिरोधकों को शामिल करने के लिए वतमान विकल्पों □□ f□स□□ f□□□ □□□ □□

- **गर्भनिरोधकों को पैकिंग को पुनः** <u>डिजाइन किया गयाः</u> □ण□□ं, □□□ गभ निरोधक गोलियां (ओसीपी) तथा आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ (ईसीपी) को पैकिंग म अब सुधार किया गया है और उसे फिर से डिजाइन किया गया है ताकि इन उत्पादों को मांग म वृद्धि हो सके।

- **परिवार नियोजन संभारतंत्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-□□□□□□□□)** : □□f□□□□ं □□ वितरण प्रबंधन और आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एफपी-एलएमआईएस प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य स□□ □l □□□ब□□ □□□ □f□□ □□□ब□□ □ □□□ □□□तथा कायक्रम को प्रभाविता और गर्भनिरोधक सुरक्षा म सुधार करने के लिए गर्भनिरोधक आपूर्तियां के प्रवाह को मॉनिटर करने तथा उसका प्रबन्ध करने हेतु नीति निमाताओं, कायक्रम प्रबन्धकों और संभारतंत्र कर्मियों के संबंध म निणय निमाता तंत्र के रूप म □□□ □□□□ □□

- **नैदानिक आउटरीच टीम (सीओटी) स्कीम**: यह स्कीम दूर-□□□, अल्पसेवित और भौगोलिक रूप से दुगम क्षेत्रों म प्रत्यायित संगठनों द्वारा मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं □□□ब□ □□□□□□लिए 146 मिशन परिवार विकास जिलों म शुरू की गई है।

- **नवीन परिवार नियोजन मीडिया अभियानः** गर्भनिरोधक मांग के सृजन के लिए एक चहुमुंखी मीडिया अभियान चलाया गया है। इस अभियान का प्रथम चरण 2016 म प्रारम्भ किया गया था तथा दूसरा चरण (जिसम परिवार नियोजन के संबंध म □l□□□, पोस्टस और होडिंग्स, □f□□□ □□ तथा एक समर्पित वेबसाइट शामिल ह) 2017 म प्रारम्भ किया गया था।

- **बंध्यीकरण क्षतिपूर्ति वृद्धि योजनाः** 11 उन मुख्य फोकस राज्यों (8 अधिकार प्राप्त काय समूह [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], हरियाणा) जहाँ प्रजनन दर 2.1 से [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] क्षतिपूर्ति स्कीम म वृद्धि का गई है।

- **गभधारण पश्चात परिवार नियोजन** सेवाओं पर जोर देना जिसम प्रसवोत्तर और गभपात के पश्चात गर्भनिरोधन (प्रसवोत्तर इन्ट्रा यूट्रिन गर्भनिरोधक उपकरण- [illegible], [illegible] पश्चात इन्ट्रा यूट्रिन को प्रोत[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

- **इन्ट्रा यूट्रिन गर्भनिरोधक उपकरणों (आईयूसीडी)** को अन्तराल विधि के रूप म प्रोत्साहित करना- परिवार नियोजन कायक्रम के तहत कॉपर आईयूसीडी-375 (5 वष का प्रभाविता) प्रारम्भ करना।

- **[illegible] ग्राहकों के लिए ड्रॉप बैक सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु स्कीम**

- उच्च मामला भार वाले सुविधा केन्द्रों म **समर्पित प्रजनन मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) परामशदाताओं** [illegible] [illegible]

- **परिवार नियोजन सेवाओं को सुनिश्चित प्रदानगीः** पिछले चार वर्षों म राज्यों म बंध्यीकरण के लिए निर्धारित दिवस परिवार नियोजन सेवाओं के सुदृढ़ी करण हेतु अपनी प्रतिबद्धता जाहिर का [illegible]

- **आशाकर्मियों द्वारा लाभार्थियों का देहलो पर गर्भनिरोधकों का आवास सुपुदगी** [illegible] [illegible] 17 [illegible], 2012 से समूचे देश म विस्तार किया गया है।

- **जन्मों म अन्तर को सुनिश्चित करने हेतु आशाकर्मियों के लिए स्कीमः**
  - स्कीम के तहत, विवाह के पश्चात् [illegible] जन्म म 2 वष का विलम्ब सुनिश्चित करने वाले दम्पतियों को पहले बच्चे [illegible] जन्म के पश्चात् 3 वष का अन्तर रखने के लिए [illegible] [illegible] काउंसलिंग करने के लिए आशाकर्मियों का सेवाओ का उपयोग किया जा [illegible] [illegible]
  - इस योजना को देश के 18 राज्यों (8 अधिकार प्राप्त काय समूह राज्य, 8 पूर्वोत्तर राज्य, गुजरात और हरियाणा) म कायान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, [illegible], [illegible] प्र[illegible], [illegible], [illegible], महाराष्ट्र, दमन दाव और दादर और नगर हवेलो म [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] कार्यक्रम के तहत किए जा रहे क्रियाकलाप

- **सभी राज्यों, जिलों में गुणवत्ता आश्वासन समितियों** का गठन करके परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण परिचर्या सुनिश्चित करना।

- '[illegible] **क्षतिपूर्ति योजना (एनएफपीआईएस)** [illegible], [illegible] जटिलताएं पैदा होने और बंध्यीकरण के विफल रहने की स्थिति में ग्राहकों की क्षतिपूर्ति की जाती है।

- **बंध्यीकरण के लिए सहमत होने वाले व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति स्कीम**: स्कीम के [illegible] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किए जाने वाले बंध्यीकरण के कारण लाभार्थियों को होने वाले मजदूरी के नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है।

- पीपीपी के तहत परिवार नियोजन सेवाओं के लिए प्रदाता आधार में वृद्धि करने के लिए अधिक **प्राइवेट/एनजीओ सुविधा केन्द्रों का प्रत[illegible]**

- विभिन्न सुविधा केन्द्रों में पोस्टरों, सूचना पट्टों और अन्य ऑडियो तथा वीडियो सामग्रियों का प्रदर्शन कर [illegible] **क्रि[illegible]**

- **विश्व जनसंख्या दिवस और पखवाड़े का आयोजन** (11 [illegible]- 24 [illegible]): [illegible] विश्व [illegible] परिवार नियोजन प्रयासों को गति दिए जाने का [illegible]

    - 27 [illegible] 10 [illegible]: "दम्पत्ति सम्पर्क पखवाड़ा" [illegible]"
    - 11 [illegible] 24 [illegible] "जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा" [illegible] "[illegible]"

- [illegible] (21 [illegible]- 4 [illegible]): - [illegible] भागीदारी में वृद्धि करने तथा एनएसवी कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के प्रयास के [illegible] किया जाता है जिसके द्वारा ग्राहकों को स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर ही पुरूष बंध्यीकरण सेवाएं [illegible]। इसमें शामिल है :

    - 21 [illegible]- 27 [illegible] :[illegible]
    - 28 [illegible]- 4 [illegible] प्र[illegible]